विशेष ध्यान योग्य क्षेत्र

हडको कंपनी अधिनियम की अनुसूची-VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों और विषयों के अनुसरण में सीएसआर के तहत निम्नलिखित गतिविधियों को संचालित करता है :-

i. कम आय बसावटों, सफाई/इन्फ्रास्ट्रक्चर इत्यादि में पर्यावरणीय सुधार सहित स्लम के पुनर्विकास के लिए परियोजनाओं को सहायता देना;

ii. महिलाओं तथा बेसहारा लोगों के लिए मकानों एवं होस्टलों की स्थापना, वृद्धाश्रम की स्थापना, बाल रक्षण केन्द्रों एवं वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी अन्य सुविधाओं तथा समाज के गरीब एवं वंचितों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों इत्यादि के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं आजीविका जैसी बुनियादी सेवाएं मुहैया करवाने के लिए परियोजनाओं की मदद के लिए सहायता देना;

iii. दक्षता एवं आजीविका विकास के लिए प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रम तथा गरीब के हित के लिए कियोस्क, दक्षता प्रशिक्षण केन्द्रों, विक्रेता बाज़ारों इत्यादि को स्थापित करने सहित आजीविका विकास की परियोजनाओं को सहायता देना ;

iv. शिक्षा को बढ़ावा देने वाले परियोजनाओ जैसे अध्ययन कक्षों की व्यवस्था, बहु-उद्देशीय हॉल, स्कूलों में शौचालयों की व्यवस्था एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना, विकलांगो के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था तैयार करने सहित इत्यादि |

v. आजीविका उपायों के रूप में विकलांगत सहायता/उपकरणों एवं टूल किट इत्यादि के प्रावधानों के माध्यम से विकलांगों के लिए सहायता परियोजना । जिसके माध्यम से आजीविका सुनिश्चित की जा सके और पोषण, एम्बुलेंस, स्वास्थ्य सेवाएँ/सुविधाओ के लिए प्रावधानों में सहायता दी जा सके ।

vi. संघारणीयता सम्बंधित परियोजनाओं अर्थात् जल, कचरा एवं ऊर्जा प्रबंधन तथा ऊर्जा के अक्षय स्रोतों को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को सहायता देना ;

vii. ग्रामीण विकास परियोजनाओं जैसे सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना, सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, रोशनी की व्यवस्था, आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रस्तावों तथा अध्ययन कक्षों की स्थापना के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने इत्यादि कार्यों में सहायता करना ;

viii. आपदा प्रबंधन राहत एवं पुनर्वास कार्य, तथा पुनर्निर्माण गतिविधियों जैसे आश्रय निर्माण और आपदा प्रभावितों को भोजन तथा सहित राहत सामग्री जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएँ मुहैया कराना ।

ix. महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आदिवासी समुदायों और अनुसूचित जाति के कल्याण, राहत एवं सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फण्ड' अथवा 'प्राइम मिनिस्टर्स सिटिज़न असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फण्ड' (पीएम् केयर्स फण्ड) में योगदान;

विशेष ध्यान योग्य क्षेत्र

x. परंपरागत कला एवं हथकरघा की प्रोन्नति एवं विकास के लिए प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण करने सहित संस्कृति संवर्धन के लिए विरासत स्थलों/ऐतिहासिक महत्व के भवनों के संरक्षण एवं पुन:स्थापना की परियोजनाओं तथा स्मारकों/विश्व विरासत भवनों/ विरासत जगहों/तीर्थ स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं/सेवाओं की व्यवस्था के लिए सहायता देना;

xi. (क) केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, या सार्वजानिक उपक्रम अथवा किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसी द्वारा वित्तपोषित विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रोत्साहनकारी अथवा शोध एवं विकास परियोजनाओं में योगदान; और

(ख) सार्वजनिक रूप से पोषित विश्वविद्यालयों में योगदान; इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (आईआईटी); परमाणु ऊर्जा विभाग(डीएई) के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय लैबोरेट्रीज एवं स्वायत्त निकायों; डिपार्टमेंट ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी(डीबीटी); डिपार्टमेंट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी(डीएसटी); डिपार्टमेंट ऑफ़ फार्मास्युटिकल्स; 'आयुर्वेद, योग तथा नेचुरोपैथी, यूनानी एवं होमियोपैथी मंत्रालय (आयुष); इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकायों जैसे:- रक्षा, अनुसन्धान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ); तथा विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी और चिकित्सा क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों(एसडीजी) के लिए अनुसन्धान कार्य में जुटे भारतीय कृषि एवं अनुसन्धान परिषद्(आईसीएआर); भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्(आईसीएमआर) और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्(सीएसआईआर); इत्यादि को सहायता देना।

उपरोक्त यथा उल्लिखित इन विशेष गतिविधियों के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथा चिन्हित अन्यानेक गतिविधियों/परियोजनाओं/विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्रों तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों को भी सीएसआर नीति के उद्देश्यों के वृहद्/स्वतंत्र क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।